दां.प्रकी.(जमा.) 4245/2004

**06.12.2004**

**माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार**

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री संदीप मेहता,
जन अभियोजक श्री ओ.पी.राठी, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि अभियुक्त की शादी दिनांक 27.4.1996 को मृतका के साथ हुई थी। दहेज मांग का कोई भी आरोप अभियुक्त के विरूद्ध नहीं है, सामान्य आरोप यह लगाया गया है कि शराब पीकर यह मारपीट करता था जिसका भी कोई विशिष्ठ समय नहीं बताया गया है। जहरीली वस्तु खाने से मृत्यु होना बताया गया है। अभियुक्त के द्वारा आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित नहीं किया गया है, अस्पताल स्वयं अभियुक्त द्वारा भर्ती कराया गया है। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। प्रकरण में आई सभी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। चूंकि शादी हुए सात वर्ष से अधिक समय हो चुका है, दहेज हत्या का प्रकरण नहीं है न ही उत्प्रेरणा की साक्ष्य है, बिना गुणावगुण पर राय दिए अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी मदनलाल पुत्र नारू रेगर योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

**(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)**

जी.एन.शर्मा